



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA



संजीव कुमार

Sanjeev Kumar

जन्म तिथि/ DOB: 25/12/1974

पुरुष / MALE

7609 1771 8715



आधार -आम आदमी का अधिकार



भारतीय स्वास्थ्य परिवर्तन प्रणालिका

MOHE IDENTIFICATION AUTHORITY OF MOHA

पता:

S/O: बिन्देश्वरी प्रसाद, 68
(2), मगार हट्टा, हाजीपुर,
हाजीपुर, वैशाली,
बिहार - 844101

Address:

S/O. Bindeshwari Prasad, 68 (2).
MAGAR HATTA, HAJIPUR,
Vaishali,
Bihar - 844101

7609 1771 8715

Aadhaar - Aam Admi ka Adhikar

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

ज०आ०सं०-४/अ०प्र०-०१-१२/२०२४

58

/पटना, दिनांक- ०३-०२-२०२५

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस०एल०पी० (सी०) संख्या-७२५७/२०२३ शक्ति मूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक-०४.१०.२०२४ को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्र सं०-१२ दिनांक-०१.०१.२०२५ द्वारा विज्ञापन सं०-०१/२०१९ के अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रणधीन कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित ७०७ (सात सौ सात) अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर-०७ एवं समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य अन्य भत्तों के साथ परीक्षा पर नियुक्त किया जाता है:-

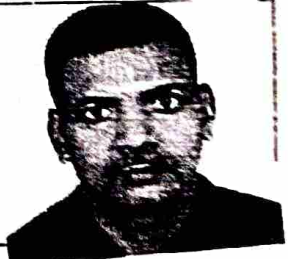
क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम/गृह जिला	पिता/पति का नाम स्थायी पता	पंजी यन सं०	आयोग द्वारा अनुशंसित समेकित सीरियल नम्बर	जन्म तिथि	आवेदन की कोटि / अनुशंसित कोटि	नियुक्त अभ्यर्थी का छायाचित्र
१	२	३	४	५	६	७	८
१	श्री हेमेश्वर राय/बक्सर	श्री रामा शंकर राय ग्राम-कथराई पो०-गानिकपुर, थाना-धनसाई, जिला-बक्सर, बिहार पिन-८०२१२८	BR00150010049573	४	१५.०२.१९८७	UR ६०-UR	
२	श्री मुकेश कुमार रजक/जमुई	श्री राम प्रसाद रजक ग्राम-पो०-सेवा, थाना-गिद्धौर, जिला-जमुई, बिहार पिन-८११३०५	BR00150010044508	८	१६.०२.१९९०	SC ६० UR	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

६

105	श्री नरेश कुमार/पटना	स्व० नन्दलाल सिंह ग्राम-बूजु विगाहा, पो०-जटडुमरी, थाना-गौरीघक, जिला-पटना, बिहार पिन-804453	BR00150010064465	294	31.01.1969	BC 60-BC	
106	श्री मनोज कुमार/रोहतास	श्री जनार्दन चौधरी ग्राम+पो०- अगरेडकला, थाना-सूर्यपुरा, जिला-रोहतास, बिहार पिन-802226	BR00150010058873	298	31.12.1984	BC 60-BC	
107	श्री मनोज कुमार/दास/बांका	स्व० अधिक लाल दास ग्राम-पवईडीह, पो०-पवई, थाना+भाया- अमरपुर, जिला-बांका, बिहार पिन-813101	BR00150010068038	302	11.01.1980	SC 60-SC	
108	श्री संजीव कुमार/वैशाली	श्री विन्दवरी प्रसाद ग्राम/मोहल्ला- मगरहट्टा, पो०-हाजीपुर, थाना- हाजीपुर नगर, जिला-वैशाली, बिहार पिन-844101	BR00150010054217	304	25.12.1974	UR 40-UR	
109	श्री अजीत कुमार/नालन्दा	श्री राजेन्द्र कुमार ग्राम-हविवपुरा, पो०+थाना-सोहसराय, जिला-नालन्दा (बिहारशरीफ), बिहार पिन-803118	BR00150010066580	307	22.07.1975	EBC 60-EBC	
110	श्री उमा कान्त/पटना	स्व० राम पुकार सिंह ग्राम-मखदुमपुर गेट नं०-89, पो०-दीघा घाट, थाना-दीघा, जिला-पटना, बिहार, पिन-800011	BR00150020048020	309	05.07.1977	BC 60-BC	

(ii) बिहार सरकार के अन्तर्गत संविदा नियोजित कनीय अभियंता, नियमित सरकारी सेवक नहीं हैं। अतः आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु उनकी अनुशंसा के क्रम में संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित नियुक्ति के उपरान्त ऐसे संविदा नियोजित कनीय अभियंता संविदा नियोजन से त्याग पत्र समर्पित करने के अगले दिन ही नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप योगदान करेंगे।

(iii) बिहार सरकार के अन्तर्गत संविदा नियोजित वैसे कनीय अभियंताओं जिनका आयोग द्वारा चयन के क्रम में संविदा अधि में किये गये कार्यानुभव के लिए अंक की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ प्रदत्त की गयी होगी, को उनके पदस्थापित प्रमंडल में योगदान के समय उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र की जाँच कर संतुष्ट होना सुनिश्चित करेंगे। कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उससे संबंधित कोई त्रुटि/पार्श्वक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

(iii) जिन संविदा नियोजित कर्मियों के विरुद्ध सम्प्रति अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, उनके मामले में प्रशासी विभाग द्वारा प्रत्येक मामले को गुणा-गुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

(iv) संविदा अधि में की गयी सेवा का किसी प्रकार का कोई लाभ नियमित नियुक्ति के उपरान्त अनुमान्य नहीं होगा।

7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकलन सं०-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर सभी अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

8. अन्यर्धियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. सभी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापन के उपरान्त नव पदस्थापन कार्यालयों में योगदान की तिथि से देय होगा।

10. नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के वेतनादि का भुगतान संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उनके शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापनोपरान्त किया जायेगा।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली/माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विभाग सं०-01/2019 (कनीय अभियंता) के विरुद्ध दायर विभिन्न वादों में पारित होने वाले अंतिम न्याय निर्णय के फलाफल से यह नियुक्ति प्रभावित होगी।

12. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा पार्श्वक्यता पाये जाने पर इसे तदनुसार संशोधित/रद्द कर दिया जाएगा।

861/ *कनीय अभियंता*

(B-F)
02/07/2025
(ई० भगवत राम)
अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-4/अ0प्र0-01-12/2024

1493

/पटना, दिनांक- 03/02/2025

प्रतिलिपि- श्री संजीव कुमार, पंजीयन सं0-BR00150010054217, पिता- श्री विन्देश्वरी प्रसाद, ग्राम/मोहल्ला- मगरहट्टा, पो0-हाजीपुर, थाना- हाजीपुर नगर, जिला-वैशाली, बिहार पिन-844101 को उनके अभिप्रमाणित फोटोग्राफ के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

2. निदेश है कि शैक्षणिक योग्यता, जाति, आवासीय एवं आरक्षण (यदि लागू हो तो) से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ पदस्थापन संबंधी निर्गत होने वाले आदेश की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर अपना योगदान पदस्थापित किये जाने वाले कार्यालय में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।



अवर सचिव
ग्रामाण कार्य विभाग
बिहार, पटना

(ई0 भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।